ont>

Title: Need to adopt a regulatory mechanism to protect the interest of workers of disinvested public sector units-Laid.

श्री भैरूलाल मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जब से आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत अभी तक जितने भी सरकारी उपक्रमों का विनिवेश किया तथा कर्मचारियों को वी.आर.एस. दिया या छटनी की है, उससे देश में बेरोजगारी निरन्तर बढ़ी है, जिस कारण पूरे देश में अराजकता का वातावरण उत्पन्न होना शुरू हो गया है। नव जवानों को शिक्षित होने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। विनिवेश किये गये उपक्रमों में प्रबंधन की मर्जी से भर्तियां की जा रही हैं, जिस कारण आम लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो कर्मचारी विनिवेश के बाद बचे हैं, उन्हें भी परेशान करके नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। निजी उद्यमी केवल अपने मुनाफे के लिए उद्योगों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें देश तथा उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की कोई परवाह नहीं है। विनिवेश के बाद निजी कंपनियों द्वारा श्रमिकों की छंटनी लगातार जारी है, जिस कारण बेरोजगारी का पैमाना बढ़ता ही जा रहा है। मैं एक श्रमिक प्रतिनिधि होने के नाते कहता हूं कि विनिवेश के बा वजूद भी श्रमिक अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं, इसलिए इन कंपनियों में सरकारी हस्तक्षेप एवं निगरानी होना अत्यंत आवश्यक है। अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि उक्त सभी तथ्यों को गंभीरतापूर्वक लिया जाये तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए शीघ्र उपाय किये जायें और आरक्षण की मौजूदा सुविधा निजी उद्योगों में यथावत रखी जाये।